कार्यवाही विवरण

मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री संजय कुमार साव), ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग खसरा क्रमांक–47 पार्ट, 60/1पार्ट, 63 पार्ट, 64, 65 पार्ट, 66, 69 पार्ट, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158, कुल क्षेत्रफल–4.91 हेक्टेयर मेंचूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–1,96,875 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 30.09.2021 को समय दोपहर–12:00 बजे, स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गोंड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री संजय कुमार साव), ग्राम–गोंडपेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग खसरा क्रमांक–47 पार्ट, 60/1 पार्ट, 63 पार्ट, 64, 65 पार्ट, 66, 69 पार्ट, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158, कुल क्षेत्रफल–4.91 हेक्टेयर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–1,96,875 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों द पायोनियर, नई दिल्ली दिनांक 28.08.2021 एवं नवभारत, रायपुर दिनांक 28.08.2021 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 30.09.2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गोंड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गोंड़पेण्ड्री, जिला–दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से

उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 30.09.2021 को दोपहर 12:35 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गोंड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं, टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री हर प्रसाद आडिल, जनपद सदस्य, पूर्व, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं ढौर के रहवईयो हों, मैं जनपद सदस्य भी रह चुके हों। जैसा कि आज हमर पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से हमर गांव गोंडपेण्ड्री में जनसुनवाई के कार्यक्रम होवत हे। तो एखर बारे में अपन एक बात मैं अधिकारी मन के बीच, हमर गांव के साथी मन के बीच में रखना चाहत हों कि पहली हमर पंचायत म कोई इंकम के साधन नई रहाय, जो भी रहाय वो सरकार के डहान ल रहाय या आबै नई करय। लेकिन जब ले हमर क्षेत्र म खदान, पत्थर खदान, माईन्स के काम चालू हे तब से रॉयल्टी के माध्यम ले विभिन्न गांव म रॉयल्टी से गांव के पंचायत मन ल, गांव के नागरिक मन ल, बहुत से काम मिलत हे। ऐखर से हमर गांव के जो दुर्दशा हे जैसे कि रोड के सीमेण्टीकरण, गांव के तालाब हे वहां महिला मन बर नहाय के अलग से साधन, स्कूल के व्यवस्था ये सब काम हमर खदान वाले साथी मन के माध्यम से हमर गांव के पंचायत मे जो रॉयल्टी के राशि आवत हे ऐखर से काम होवत हे ये में कोई दुमत नई हे। दूसर बात ये है कि हमर क्षेत्र म अति–निम्न श्रेणी के गरीब, भाई–बहिनी, मजदूर साथी मन हे उमन ल पहली काम खोजें म बड़ा भी दिक्कत होवय। लेकिन जब से हमर क्षेत्र म पत्थर खदान, सीमेण्ट के फैक्ट्री बने हे वहां काम

करके हमर साथी मन ह अपन पेट–रोजी, लईका मन के पढ़ाई लिखई, अपन मनोरंजन के साधन मन के आपूर्ति करते हे। तब ये सब चीज ल देखते हुवे आप मन से निवेदन करना चाहत हों कि हमर जो मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन के जो जनसुनवाई होवत हे पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से जो जनसुनवाई होवत हे। ऐखर मैं समर्थन करत हौं। साथ ही निवेदन करत हों कि आप में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करत हव ओखर अक्षरशः पालन करव। ताकि क्षेत्र में जो पर्यावरण के गम्भीर मुद्दा आ जाथे ओ न आवय। ओखर व्यवस्थित रूप से पालन करव। मैं साव मिनरल्स के समर्थन करत हौं। अतक बात कहात हुवे अपन वाणी, जुबान ल विराम देवत हों। धन्यवाद।

2. **श्री विनोद जांगडे, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ बिल्कुल अनुमोदन मिलना चाहिए।

3. **श्री रामनाथ गायकवाड, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण महोदय जी हम सब लोग साव मिनरल में कार्यरत हैं, हमारा घर परिवार इसमें काम करके संजय साव मिनरल्स में काम करके हम अपने घर परिवार का भरण–पोषण करते हैं, इससे पूरा हमारा घर चलता है। इस खदान पर हमारा पूरा परिवार आश्रित है, करोना काल में भी ये खदान वाले हमे घर बैठाकर पेमेण्ट किया है, सैलेरी प्रदान किया है। जिससे हमारा घर चला था। समय–समय पर हमारा आर्थिक सहयोग भी करते हैं। यह खदान चालू होने में हम सहमत हैं।

4. **श्री पवित्र कुमार कोसले, ग्राम–चुनकट्टा, जिला–दुर्ग।**

➢ माननीय लोक सुनवाई अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई के विषय में मैं ग्राम चुनकट्टा से 50 आवेदन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं साव मिनरल्स से सहमत है। भाई संजय साव जी का खदान खुलना चाहिए और हमको आस–पड़ोस की ग्रामीण जनता को कोई आपत्ति नहीं है। खदान खुलने से जो बेरोजगार साथी हैं, युवा हैं उनको काम मिलता है। भविष्य में इनका काम सुचारू रूप से चले और मैं निवेदन करता हूं कि साव मिनरल्स लाईम स्टोन प्रारंभ हो। धन्यवाद।

5. **श्री हेमराज, ग्राम–चुनकट्टा, जिला–दुर्ग।**

➢ मै ग्राम की तरफ से बोलता हूं कि खदान में रोजगार मिलता है, अपने मजदूर भाई को काम मिलता है, मेरे तरफ से सहमति है। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

6. **श्री युवराज बंजारे, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ लोक सुनवाई अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल आज हमारे ग्राम में जनसुनवाई हो रही है। पर्यावरण विभाग से आए अधिकारी, अपर कलेक्टर सर, पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। गांव के कई कार्यक्रम में सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। हमारे गांव में उनके द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण होता है। आज दिनांक 30.09.2021 को हम सभी सहमति प्रदान करते हैं। सहमति प्रदान करने वालों का नाम इस प्रकार से है :– रवि कुमार,

जयप्रकाश, संजय कुमार, प्रेमनाथ गायकवाड़, रामकुमार, महमल्ला, जागेश्वर चंदेल, गोपाल दास, संजय बंजारे, राकेश कुमार, नीलेश, तुलाराम देशलहरे एवं अन्य धन्यवाद।

7. **श्री शिव दयाल साहू, ग्राम–छांटा, जिला–दुर्ग।**

➢ आदरणीय अपर कलेक्टर महोदय एवं लोकसुनवाई अधिकारी क्षेत्रीय पर्यावरण मंडल भिलाई, जिला–दुर्ग मैं कहना चाहता हूं कि मैं अभी भी साव मिनरल्स लाईम स्टोन में कार्यरत हूं एवं हमारे गांव से भी कई लोग कार्य के लिए वक्त–वक्त में आते रहते हैं। हमारे गांव के लोगों को बेरोजगारी से कुछ हद तक बहुत राहत मिलता है। इसी कारण से मैं निवेदन करता हूं कि मेसर्स साव मिनरल्स माईन्स को अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

8. **श्रीमती त्रिवेणी बंजारे, जनपद सदस्य, क्षेत्र कमांक–08 ग्राम–गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आज हमारे ग्राम पंचायत में जनसुनवाई हो रही है इसमें जितने पर्यावरण विभाग से आए अधिकारी, अपर कलेक्टर, खनिज विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी आप सभी का हमारे ग्राम गोंडपेण्ड्री में स्वागत है। मैं संजय साव जी का मैं समर्थन करती हूं क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किये हैं हम सभी लोग इनका धन्यवाद करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत सारे कार्य किये हैं। इन्होंने गांव के व्यक्तियों को खदान में कार्य करने के लिए प्राथमिकता दी है जिससे हमारे गांव में बेरोजगारी खत्म हुई है। दूसरी बात है कि हमारे गांव के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, पंचायत के पंच, सरपंच और यहां तक कि मैं भी, सर ने पूरे गांव वालों को हरियाली के समय आमंत्रित किये थे। हम सब वहां वृक्षारोपण भी किये हैं। गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए भी मदद करते हैं। गांव के विकास में खासकर सबसे ज्यादा कोरोना काल महामारी के समय इनके द्वारा काफी मदद किया गया। शिक्षा, स्कूल के विकास कार्यों में सहायता भी प्रदान किये हैं। खदान में काम करने वाले बच्चे बताते हैं कि सर का व्यवहार बहुत अच्छा है पेमेण्ट में कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं सर का समर्थन ही करूंगी। इन्हें एन.ओ. सी. दी जाये। धन्यवाद।

9. **श्री प्रेम वैष्णव, ग्राम सेलूद, जिला–दुर्ग।**

➢ आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अपर कलेक्टर महोदय, मैडम जी, लोक सुनवाई पर्यावरण के संबंध में इसका कार्यक्रम रखा गया है। साव मिनरल्स के संबंध मे जहां तक सबने कहा मैं समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए ग्राम सेलूद से आये आवेदन को आपके समक्ष प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।

10. **श्री युवराज साहू, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं लाईम स्टोन के संचालन के लिए अपना सहमति प्रदान करता हूं और ग्रामवासियों से भी निवेदन करता हूं कि खदान के संचालन के लिए अपनी सहमति दें धन्यवाद।

11. **श्री अजय बंजारे, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस खदान के लिए सहमत हूं और सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि वे भी अपना सहमति प्रदान करें। धन्यवाद।

12. **श्री परस राम साहू, ग्राम ढ़ौर, जिला–दुर्ग।**

➢ आसपास के लोगों को राहत मिलती है। रोजगार मिलता है। सहमति प्रदान करता हूं। धन्यवाद।

13. **श्री दयालु ठाकुर, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आप सभी का हमारे ग्राम गोंडपेण्ड्री में स्वागत है। मैं एक सामान्य किसान हूं, पर्यावरण सुधार की आवश्यकता है। इसमें हम जिम्मेदार हन, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे, उसके लिये पेड़ लगवाना, हरा परदा का निर्माण करें। समय–समय पर जल छिड़काव कराया जाये। चूना पत्थर में नमी रहे, जिससे धूल डस्ट न रहे। सभी खदान चलाने वाले भाईयों से निवेदन है कि सभी अच्छे प्रकार से खदान चलाये जिससे वातावरण शुद्ध होगा। खदान मालिक द्वारा लगभग 500 पेड़ लगवाये गये, गांव के गणमान्य नागरिकों के द्वारा, पेड़ लगवाने में मैं भी शामिल था। पर्यावरण को शुद्ध करने का अच्छा प्रयास है। हमारे गांव के सार्वजनिक कार्यों में भी सावजी का पूरा सहयोग रहता है। यहां खदान में गांव के मजदूर ही कार्य कर रहे है। यहां अन्य खदानों से पर्यावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। मैं यहीं कहना चाहता हूं कि सभी खदान मे ऐसा ही कार्य हो तो पर्यावरण में बहुत बदलाव और सुधार हो सकता है। धन्यवाद।

14. **श्री सूरज बंजारे, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस खदान के खुलने से सहमत हूं।

15. **श्री मनसुख देशलहरे, ग्राम–गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान के खुलने से सहमत हूं। कृपया करके ग्रामवासी भी अपना समर्थन दें।

16. **श्री देवशरण पाटिल, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं संजय साव से सहमत हूं।

17. **श्री माधव पाटिल,.ग्राम– गुजरा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने से सहमत हूं।

18. **श्री हेमंतलाल गायकवाड़, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने से सहमत हूं। इसमे गांव वालो की सहमति है।

19. **श्री मिट्ठू कुमार जांगड़े, ग्राम–. गोंडपेण्ड्री जिला–दुर्ग।**

➢ मैं एक सवाल कर सकता हूं क्या ? मैं थोड़ा सा टाईम ले सकता हूं क्या ? मैं एक सवाल पूछने का इजाजत चाहता हूं। मैं यह बोलना चाहता हूं कि आप शासन के तरफ आये हो या किसी के बुलाने से आये हो ? ये शासन का है कि प्राईवेट है ? पिछले बार भी यहां पर लोक सुनवाई का सभा लगा था, उसमें कोई सुनवाई नही हुआ था। किसी आदमी का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आज लोक सुनवाई के लिये इस स्कूल को दिया गया है बच्चों का स्कूल लगना था क्योंकि 01 साल तक बच्चों

के पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना नहीं था। तो आज आप यहां शासन के तरफ से आए हैं या किसी के बुलाने से आप बता सकते हो ? हमारे गांव में खदान खुला है इसमें गलत नही है, हम लोग पहले मजदूरी करते थे। हमें ये खदान वाले रास्ते से हटाकर बाहर के लोगों को लाकर काम पर रख लेते है। गांव का आदमी काम करने के लिए जाता है तो 12 घण्टे का काम लेते है। मजदूरी देते हैं 300 रूपये। 12 घण्टे काम की मजदूरी का 500–700 दिया जाता है। जितने भी मजदूर खदान में काम कर रहे है न किसी का बैंक खाता न किसी का आधार कार्ड और इसमें काम करने वाले मजदूरों का बीमा नहीं किया जाता है। बाल–बच्चों के लिए बीमा करेंगे लिखकर दें। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं। कम से कम 5–5 लाख का बीमा दिया जाना चाहिए। आप मेरे बात से समर्थन हो कि नही बताये ? खदान वाले भाईयों को यहां पर लाकर मजदूर भाईयों के नाम से स्टाम्प में 5–5 लाख का बीमा करने हेतु सहमति पत्र बनवाये। बाप की कमाई है, हम लोग उड़ा रहे। 9–10 हजार एकड़ हुआ करता था पहले जमीन का। आज जमीन की कीमत 20 लाख–25 लाख करोड़ों में इसकी कीमत है। पंचायत में पैसा आना चाहिए। जो गांव में काम करा सके। पुराने समय में रामू गायकवाड़ के समय गांव लगभग बहुत कम पैसा 5 हजार, 7 हजार , 25 हजार पैसा आया करता था। लेकिन आज 40 लाख–50 लाख में पैसा माइनिंग का आता है। माईनिंग के अंदर आज तक कितना का पर्ची कटा है बताइये। खदान चलता है तो चलने दो, मेहनत करने वालों का 5–5 लाख का बीमा कराया जाये। मजदूर भाईयों का आधार कार्ड परिचय पत्र मंत्री तक जाना चाहिए। धन्यवाद।

20. **श्री धरमलाल कोसरे, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➤ मैं ये बोलना चाहत हों मैंडम की खदान खुले से कोई आपत्ति नहीं हें। आज बीसों साल ले खदान चलत आत हे। त मैं बोलना चाहत हो मैंडम की आसपास के रोड पूरा खराब हे, आए–जाए में बहुत परेशानी होथे। खेत में जो पानी जाए के रास्ता रिहिस पूरा येमन बिगाड के रख दे हें। यहां तक के बडे–बडे बोल्डर मन ल पानी जाये के साधन रिहिस वोमेर पूरा बोल्डर मन ल रख दे हे। हम किसान मन के कुछ सुनवाई ही नहीं होवथे। रोड में आए–जाए में बहुत असुविधा हे मेडम, गांव वाले मन ह ध्यान न देवय हमन बहुत ग्रसित हन, खेतिबाड़ी नई कर पाथन पूरा रास्ता बिगाड देथे। थोडा सा ध्यान देवव शिकायत के। धन्यवाद।

21. **श्री अशोक कुमार वर्मा, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➤ आज यहां जन सुनवाई हो रही है पर्यावरण विभाग के अधिकारीगण, अपर कलेक्टर महोदय, पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण आप सभी का ग्राम– गोंडपेण्ड्री में अभिनंदन है। साव मिनरल्स द्वारा गांव में सहायता प्रदान की जाती है, सुख–दुःख में इनके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। गांव में समय–समय में इनके द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। चारा की व्यवस्था भी कराई जाती है। मैं अशोक कुमार पेशे से किसान हूं। आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी कार्य को गति प्रदान करता है। निर्माण कार्य के लिये खदानों को चालू करने में हमें सहयोग करना पड़ता है। जहां तक संजय साव के खदान में पहले से पेड–पौधे लगवाये जा चुके हैं। हरियाली कराई गई है। खदान के चारों ओर 500 नग पौधै लगाये गये है। ग्रीननेट लगाया गया है। धूल डस्ट बस्ती तक नही आता

है। प्रदूषण हमारे गांव तक नही आते हैं। हमारे गांव की दूरी गांव से 01 से 1.5 किलोमीटर है। इसलिए मुझे लगता है, हमें खदान से कोई परेशानी नहीं है। खदान से सार्वजनिक कार्यो में सहयोग, स्कूलों में सहयोग, यहां तक कि गृह निर्माण में भी सहयोग मिलता आ रहा है। इस खदान से बेरोजगार युवा को रोजगार मिला है, जिससे भरण पोषण हो रहा है। अन्य खदान वालों को भी ऐसी व्यवस्था अपने खदान में रखनी चाहिए। अतः सहमति प्रदान किया जाये।

22. **श्री लुकेश्वर ठाकुर, ग्राम– चुनकट्टा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं साव मिनरलस का समर्थन करते हुये सहमति प्रदान करता हूं।

23. **श्री महासिंग जांगड़े, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान तो खोलत हे, अउ खदान खोले के समस्या हम मन बना थन गा। समर्थन–समर्थन करने लिखवाथे। त मैं मालिक मन से विनती करथौं कि धमाका कम रूप से होना चाहिए। एन.ओ.सी. दे हन ता खदान चलही, धन्यवाद।

24. **श्री मेंघनाथ गायकवाड़, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं ओ खदान में मे 6 माह तक काम करे हव, बाद में अपन गलती के वजह से छोड़े हव। वो खदान में अइसे सुविधा दे हे हेलमेंट, दस्ताना लेबर मन बर हर चीज के सुविधा दे हे। त मैं ये खदान से सहमत हों संजय भैय्या के खदान खुलना चाहिए। धन्यवाद।

25. **श्री सूर्यकांत कठियारे, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं संजय साव के खदान से सहमत हूं

26. **श्री होमन कठियारे, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ किसी को आपत्ति हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि संजय सावजी इतना सहयोग करते हैं, हर चीज के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं, वृक्षारोपण के लिए करते हैं, टोटल खर्च संजय साव जी करते हैं। तो इनका समर्थन मैं करता हूं मेरे साथ 20 से 25 लोग भी करते हैं।

27. **श्री भूपेन्द्र कुमार साहू, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुले से कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।

28. **श्री नारायण प्रसाद साहू, ग्राम–मुड़पहार, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं काफी दिनों से खदान में कार्यरत हूं। खदान खुलने से सहमत हूं। धन्यवाद।

29. **श्री संतोष ठाकुर, ग्राम मुड़पहार, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं 3–4 वर्ष पहले मैं यहां काम कर चुका हूं। खदान अच्छा है, उन पर जैसा उम्मीद करेंगे, वैसा खरा उतरेंगे, धन्यवाद।

30. **श्री राकेश कुमार मारकण्डे, ग्राम गुजरा, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने से सहमत हूं।

31. **श्री. दिनेश कुमार यादव, ग्राम–मुड़पहार, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं संजय भइया के यहां 05 सालों से कार्यरत हूं। खदान खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

32. **श्री नीलेश कुमार गनी, सरपंच, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आज पर्यावरण स्वीकृति के लिए जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व में कहे गये कार्यों को संजय साव द्वारा पूर्ण किया गया। आगामी तीन साल तक 2500 पौधे बोने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसे गांव वालों की माध्यम से लगाया गया। गरमी के दिन में साव मिनरल को कहा गया था डस्ट को रोकने के लिये जल की व्यवस्था की, सीट की व्यवस्था भी इनके द्वारा की गई। वृक्षारोपण के लिए मेरे द्वारा चूना पत्थर खदान वालों को लेटर भी जारी किया गया था। परन्तु अन्य खदान वाले उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। उसके उपरांत वाल के लिये हरा पट्टी–चटाई बाउण्ड्री वॉल से खदान को घेरा गया है, पर्यावरण में सुधार हुआ है। जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को भी ठीक अनुभूति हुई कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास में सहयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत को भी इससे खुशी हुई। गौठान के प्रति अपना सहयोग दिया गया। उनका सहयोग प्रापर मिल रहा है। पर्यावरण को भी अनदेखी नहीं किया जा रहा है। इनका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

33. **श्रीमती अनिता वर्मा, पंच, वार्ड कमांक–11, ग्राम– गोंडपेण्ड्री ., जिला–दुर्ग।**

➢ मैं समर्थन करती हूं

34. **श्रीमती रमा देवी सोम, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे घर के सामने में खदान है, ज्यादा दूर नहीं है । यहां खदान खोलेंगे तो तकलीफ होगा। हमारा घर खदान से लगा है। खदान खुलने से पानी के लिए तकलीफ होती है। छोटे–छोटे बच्चे हमारे घर के सामने खेलते रहते हैं। खदान खोलने के लिये मना करती हूं। बच्चे परेशान हो जायेंगे। पानी का स्त्रोत खदान में चला गया है। पत्थर से बच्चे परेशान है। सब कोई वहां पर रहते हैं, उसका जवाबदारी सरपंच लेंगे क्या ? लिखित में दे सरपंच तब चालू हो खदान, खदान खुलना नही चाहिए, हम अभी कलेक्टर आफिस गये थे, खदान न खुले करके।

35. **श्री अजय बंजारे, .ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ पुनः उद्बोधन। माताजी अभी बोल रही थी, कि खदान नहीं खुलना चाहिए। मैं उनके बात से समर्थन करता हूं। खदान से बेरोजगार को काम मिला है। जितने लोग बोलकर जा रहे हैं, ये–ये काम नहीं हुआ है। तो मैं जानता हूं कि गांव में बहुत सा काम हुआ है। उसके बाद भी कोई इस टाइप से बात करेगा तो मैं उसको अभी दिखा सकता हूं। इसके खुलने का पूरी ईमानदारी के साथ समर्थन करता हूं।

36. **श्री चंदन कुमार, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने के पक्ष में नहीं हूं। हमारे गांव में खदान खुलने से वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो रहा है और यहां के मजदूर 12 घण्टे खदान में काम करते हैं। उनको

पता नहीं रहता की गांव में क्या हो रहा है। खदान में 6 बजे सो उठ के जाते हैं 6 बजे घर आते हैं। उनकों अच्छा पेमेण्ट नही मिलता है। बंधुवा मजदूर की तरह काम करते हैं। बहुत जोर–जोर से यहां ब्लास्टिंग होता है। हर दिन 4–5 ब्लास्टिंग होता है। जो पक्के मकान होते हैं, कच्चा मकान के घर में क्रेक आ गया है। तो मैं खदान खुलने के पक्ष में नहीं हूं। मेरे साथ युवा साथी भी है। धन्यवाद।

37. **श्री विवेक कुमार, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ जो खदान खुल रहा है, मैं उसमें सहमत नहीं हूं । जो घर में रहता है वही जानता है, ब्लास्टिंग होता है तो पूरा दरार आ जाता है। धूल इतना आता है कि उससे रोड नहीं दिखता। मैं सहमति में नहीं हूं खदान खुलने के। धन्यवाद।

38. **श्री फिरोज कुमार, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने के सहमति में नहीं हूं। खदान से बहुत धूल उड़ता है। धूल बहुत फैल रहा है। ब्लास्टिंग की वजह से घर में बहुत तकलीफ होती है, दरारे आती है।

39. **श्री नंदकुमार यदु, ग्राम– गोंडपेण्ड्री ., जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने के पक्ष में असहमत हूं। पहले जब खदान कम थे तो जल का स्तर अच्छा था। गरमी के दिनों में जल का स्तर कम हो जाता है।

40. **श्री अनिल रात्रे, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ पक्ष में नहीं हूं क्योंकि बोर ब्लास्टिंग होता है। जिससे मेरे घर में दरार आ गया है।

41. **श्री मिट्ठू कुमार जांगड़े, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ पुनः उद्बोधन। किसान को 7 हजार एकड़ के हिसाब से जमीन मंगेगा तो कोई नही देगा। उद्योग वाला 20 लाख एकड़ में बोलेगा तो जमीन देगा। लेकिन क्या वो 20 लाख रूपया में जमीन लेकर घांस छिलेगा। वहां वो खदान खोले या कुछ भी खोले वो किसान से पैसा कमाये बर जमीन ल ले हे खदान खुलही यानि खुलही। हमारे गांव का पूरा समाज हे आज अधिकारी मन भी हे उनके सामने अगर कोई बोले की हम लोग 7 हजार में जमीन को लेगे तो हम मान जाएंगें कि ये बोल रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। पैसा का लालच सबको है तो क्या ये बेचारा लोग 20–20 लाख में करोड़ों रूपया लगाकर जो जमीन खरीदा है, उसका खदान खुलना ही चाहिए। उसको पैसा कमाना है उसको एन0ओ0सी0 दिया जाए।

42. **श्री होमन ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ पुनः उद्बोधन। मिटठूजी ने जो बोला उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूं।

43. **श्री भूपेश कुमार, ग्राम– गोंडपेण्ड्री ., जिला–दुर्ग।**

➢ पुर्वज लोग तो चले गये जिन्होंने जमीन बेची थी। खेत–खार में पूरा धूल जाता है। घर क्रेक हो रहा है, यहां पर जो लोग बोल रहे हैं, वो लोग बिके हुवे हैं। हम झूठे नहीं है तो पैसा नही लेंगे। धूल धक्कड़ आता है खदान से, हमको धूल–धक्कड़ को झेलना पड़ रहा है।

44. **श्रीमती लता जांगड़े, ग्राम– गोंडपेण्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरे घर के पास खदान खुल रहा है। मेरे घर में छोटे–छोटे बच्चें है, मैं उनकों कहां लेकर जाऊं। धूल धक्कड़, पत्थर गिर रहा है, पानी का तकलीफ हो रहा है। बोर में भी पानी नहीं है। मैं कहां से पानी पीयूंगी।

45. **श्री अमन बंजारे, ग्राम–चुनकट्टा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने से सहमत हूं।

46. **श्री विनोद जांगडे, ग्राम– गोंडपेण्ड्री ., जिला–दुर्ग।**

➢ सब मन ल एन0 ओ0 सी0 मिले हे त ये का करे हे येला काबर नई मिलही। जतना भी खदान संचालित हे तीर म त येला काबर एन0ओ0सी0 नई मिलना चाहिए। रोड म धूल उडत हे, धूल कहां जाहि मिटठू हा सही बोलिस। धूल उडत हे त उखर व्यवस्था खदान वाले करे।

47. **श्रीमती बहुरा ग्राम– गोंडपेण्ड्री ., जिला–दुर्ग।**

➢ भट्ठी ल बन्द कराये जाये। वही दारू ल लईका मन पीयथे, वही ल सियान मन पियथे। दुनिया ल मारे बर घर में लड़ई झगड़ा करत है। सब बोलथे ये करबो वो करबो कुछु नई करय। लईका बच्चा मन भूखा मरत हें भट्ठी ल बंद कराये जाये।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ जैसा कि अभी अभी हमारे गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने आकर कहा इनमें से श्री हरप्रसाद आडिल जी ने कहा है तथा इनके अलावा गणमान्य व्यक्तियों ने इनका समर्थन किया है। मैं इनका धन्यवाद देता हूं तथा हम आगे भी कोशिश करेंगे की गांव में जितना ज्यादा हो सके वृक्षारोपण कार्यक्रम, पानी का छिड़काव हो, गांव के कोई भी सामाजिक काम होंगे उसमें हम तत्पर रहेंगे और जिसमें हम पूर्णतः भाग भी लेंगे।

❖ इसके अलावा जैसा कि ब्लास्टिंग की बात की गई है जैसे ब्लास्टिंग होते हैं, पत्थर उड़ते है। तो इन बातों का हमने पहले ही ध्यान रखा है तथा ये जो माईन्स है वो गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वहां पर और भी खदानें हैं, जो पहले से ही संचालित हैं। तों ब्लास्टिंग जो होगी वह हम एप्रूव्हड कांट्रेक्टर के द्वारा ही करेंगे जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि गांव की तरफ पत्थर न आए न कोई नुकसान हो।

ब्लास्टिंग एप्रूव्हड कांट्रेक्टर के द्वारा होने ये जो मकानों की दिवारों में दरारें आती है, उन सारी चीजों की परेशानी नहीं आएगी।

- दूसरी बात है वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण के लिए जैसे हमने पहले से ही प्लान किया हुआ है कि वृक्षारोपण जितना ज्यादा हो सकेगा खदान के चारों ओर तथा जिस रोड से गाड़ियां आती जाती है, जो सड़क कच्ची है उसके दोनों तरफ हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके वृक्षारोपण हम करेंगें तथा रोड को मेंटनेन्स हो इन सब चीजों पर हम ध्यान देंगे।

- इसके अलावा जो पर्यावरण दूषित हो रहे है, गाड़ियों की आवाजाही से इन सारी चीजों के अलावा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उन बातों का हम ध्यान रखते हुए हमने ग्रीननेट की फेसिंग की हुई है तथा हो सके तो हम ग्रीननेट की और फेंसिग करेंगे और जो भी ट्रकें वहां से निकलेगी, तारपोलिन से कव्हर्ड होकर निकलेगी। इससे यह होगा कि जो गाड़ियां चलेगी उससे धूल का उत्सर्जन न हो। वृक्षारोपण होगा तो जो धूल का उत्सर्जन होता है, वह ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इन बातों पर हम ध्यान देते हुए हम माईंस को चालू करेंगे और आगे भी जो सहयोग हो सकेगा गांव के काम में वह हम करेंगे। इसके अलावा स्कूलों में सी0एस0आर0 गतिविधि के तहत् जो कई सारी चीजें पर्यावरण से रिलेटेड है, उसको हम पहले ही करने के लिए बोल चुके हैं।

- रोजगार में हम गांव के व्यक्तियों को ही लेंगे, पहले भी हमारा गांव प्रीफ्रेंस रहा है और आगे भी हम गांव के व्यक्तियों को ही पहले प्रीफ्रेंस देंगे। गांव के जो भी युवा हैं या जो भी खदान में काम करना चाहेंगे वहां काम कर सकते हैं। जो भी माईन्स, मिनरल्स एक्ट के थ्रू ही जो बीमा वाली बात कही उन सारी चीजों पर हम ध्यान देंगे। जो माईन्स, मिनरल्स एक्ट के रूल्स के हिसाब से की जाएगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 163 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 44 व्यक्तियों (03 व्यक्ति द्वारा दो बार उद्बोधन) के द्वारा कुल 47 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 63 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 01.56 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग